

5.8.24 प्राप्त्र मूल वाद के सेलग्न पेक्षा/चुंकि
 मूल वाद खारिज हो चुका है अतः प्रा
 पत्र अं. आ 212 RTA अतवात सं. 81/2024
 नवपीत सिंह बराड बगाम मुख्तयार कौट
 खारिज किया जाता है पत्रावली फैंपला शुमार
 नं० से कम होकर मूल वाद के सेलग्न
 दाखिल दफ्तर है।